२९/०४/२३ पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण व
विपक्षीगण क्रं(ल) 1, 2, 4, 5 के वकील
उपस्थित। विपक्षी क्रं. 3, 6 तथा 13 अनुपस्थित।
आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने
के अनुपस्थित रहने के विपक्षी क्रं. 3, 6
तथा 13 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही
की जाती है। विपक्षी क्रं. 1, 2, 4, 5, का
जवाब अप्राप्त। जवाब का अवसर बन्द
किया जाता है। दोनों पक्षों के विद्वान
अभिभाषकगण के पत्रावली पर बहस सुनी।
आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले
न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ
तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर
शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नियम
अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या : 70 / 2023

**प्रार्थीगण :—**

1. लुम्भाराम पुत्र चेनाराम
2. विशनाराम पुत्र लुम्भाराम
3. पाबूराम पुत्र लुम्भाराम
4. देवाराम पुत्र लुम्भाराम
   जाति जाट निवासी गोलिया जैतमाल तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

**बनाम**

**विप्रार्थीगण :—**

1. खेताराम पुत्र चेनाराम
2. पेमाराम पुत्र खेताराम
3. पाबूराम पुत्र खेताराम
4. मगाराम पुत्र खेताराम
5. धर्मा पुत्र खेताराम (नाबिलंग की वली माता पनीदेवी पत्नी खेताराम)
   जाति जाट निवासी गोलिया जैतमाल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
6. दानाराम पुत्र खूमाराम
7. भींयाराम पुत्र खूमाराम
8. हेमाराम पुत्र खूमाराम
9. हरीराम पुत्र खेमाराम
10. केहनाराम पुत्र मुकनाराम
11. देवाराम पुत्र मुकनाराम
12. राणाराम पुत्र अणदाराम
    जाति मेगवाल निवासी रामेश्वर नगर, गोलिया जैतमाल तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
13. तहसीलदार नौखडा

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थित**

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता विप्राथी सं. 1,2,4,5**

## –:: आदेश ::–

दिनांक :– 29.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त समय लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण के आवेदन का कोई जबाव पेश नहीं किये जाने से जबाव का अवसर बन्द किया गया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद तहसील नौखडा के राजस्व ग्राम गोलिया

...ण्ड अधि... गुडामालानी

जैतमाल के खेत खसरा नम्बर 276, 277/7, 277/9, 280/4, 280/5 रकबा क्रमशः 0.0486, 0.2914, 0.3561, 2.6547, 2.2986 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील नौखडा के राजस्व ग्राम गोलिया जैतमाल के खेत खसरा नम्बर 276, 277/7, 277/9, 280/4, 280/5 रकबा क्रमशः 0. 0486, 0.2914, 0.3561, 2.6547, 2.2986 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक गोलियाजैतमाल को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 1059

दिनांक : 31|8|23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

लुम्भाराम वगैरा खेताराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......70 / 2023.. निर्णय दिनांक :– **29.08.2023**

## –:: आदेश ::–

उप.रोक्त प्रकरण में ग्राम **गोलिया जैतमाल** के खेत खसरा नम्बर 276, 277 / 7, 277 / 9, 280 / 4, 280 / 5 रकबा क्रमशः 0.0486, 0.2914, 0.3561, 2. 6547, 2.2986 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक गोलिया जैतमाल**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2023 / 1060-61
दिनांक : 31|8|23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार नौखडा
2. थानाधिकारी.......... RGT रावली नाडी नगर
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **गोलिया जैतमाल**
4. हल्का पटवारी....**गोलिया जैतमाल**.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**लुम्भाराम वगैरा**
6. विप्रार्थीगण.....**खेताराम वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी